

दि. 20/6/23

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

श्रीमानजी

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड - ग्राम अणतपुरा के खता सं. 360 में प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र कानाराज है जबकि आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रहलाद सहाय पुत्र कानाराज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रहलाद सहाय पुत्र कानाराज किया जाना उचित है।

20/6/23
3.6.23
ह. मूअनि

20/6/23
27/6/23

hmt
20/06/2023
ह. हल्का पटवारी
अणतपुरा

रिपोर्ट /अभिगण्डा तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

श्रीमानजी

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं जांच रिपोर्ट श्री. अ. कि. के ग्राम अणतपुरा के खता सं. 360 में दर्ज नाम प्रहलाद पुत्र कानाराज है। आधार कार्ड रवाना कार्ड में प्रहलाद सहाय पुत्र कानाराज नामित है जो गलत सही है। अतः प्रहलाद सहाय पुत्र कानाराज दुरस्ती हेतु अभिगण्डा की जाती है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

आदेश

(कम्प दिनांक 6/6/23 मुख्यालय ग्राम पंचायत अणतपुरा)

मुताबिक पटवारी श्री. अ. कि. रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार की कार्यवृत्ति के अनुसार अणतपुरा के खता सं. 360 में दर्ज प्रहलाद पुत्र कानाराज के खता पर प्रहलाद सहाय पुत्र कानाराज दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

पालनार्थ - तहसीलदार / नायब तहसीलदार

शिविर प्रोग्राम अधिकारी
प्रशासन पंखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी - श्रीमानजी
पंचायत सामाते - श्रीमानजी